<u>बिहार सरकार</u>

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक- ग्रा0वि0-2स्था (प्रतिनियुक्ति)-06-7/14 2021152 दिनांक 19/09/14

प्रेषक ,

उप सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार पटना

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय: प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्वशासी निकायों/संस्थानों/बोर्ड/निगमों के कार्य रहित कर्मियों के सेवा लेने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विज्ञापन की प्रति सीडी सहित पॉच प्रतियों में संलग्न है ।

अनुरोध है कि राज्य के सर्वाधिक प्रसार वाले दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में इसे शीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(महेन्द्र भगत) 19/9/14
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
विज्ञापन

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय में बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अन्तर्गत रिक्त आशुलिपिक के पॉच पदों पर राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/निगमों के कार्यरहित समकक्ष कोटि के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु उनसे संलग्न प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं ।

(क) प्रतिनियुक्ति की शर्तें :-

1. निकाय / निगम में नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी को ही प्रतिनियुक्त पर लिया जाएगा । अस्थायी या दैनिक वेतन भोगी कर्मी को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जाएगा ।
2. प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन के लिए अधिकतम आयु-सीमा-57 वर्ष होगी ।
3. संबंधित कर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार का विवाद नहीं रहना चाहिए तथा कोई आरोप या जाँच लंबित नहीं होनी चाहिए ।
4. संबंधित कर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए ।

(ख) योग्यता:-

1. संबंधित कर्मी कम से कम स्नातक या समकक्ष योग्यताधारी हो तथा निगम/निकाय में आशुलिपिक कोटि के पद पर कार्यरत हो ।
2. अपुनरीक्षित वेतनमान में 4000-6000 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200 (ग्रेड वेतन-2400 में कार्यरत हो ।
3. आवेदक अपना आरक्षण कोटि भी अंकित करेंगे ।

(ग) अन्य शर्तें:-

1. यह प्रतिनियुक्ति अधिकतम छः माह के लिए होगी ।
2. रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने पर यह प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी ।
3. चयनित कर्मी को वेतन निगम से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर ही देय होगा, तथा वेतन पुनरीक्षण संबंधी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
4. सेवा असंतोषप्रद पाए जाने पर प्रतिनियुक्त कर्मी की सेवा किसी भी समय वापस की जा सकेगी ।
5. वित्त विभाग के संकल्प सं0- 6655 दिनांक- 21.07.2011 द्वारा निर्धारित शर्ते एवं प्रक्रिया प्रतिनियुक्ति में लागू होगी ।
6. प्रतिनियुक्ति इस हेतु गठित एक चयन समिति की अनुशंसा पर की जायगी ।
7. संलग्न विहित प्रपत्र में विधिवत भरे गए आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित दिनांक-31.10.2014 के अपराहन 5:00 बजे तक उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को निश्चित रूप उपलब्ध कराए गए आवेदन ही विचारणीय होंगे ।

17/9/14

(महेन्द्र भगत)

सरकार के उप सचिव ।

My Document/Document Folder/ BHARTI MAM/Letter-26

<u>आवेदन पत्र का प्रपत्र</u>

स्वअभिप्रमाणित फोटोग्राफ

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. लिंग :-
4. जन्म तिथि :-
5. उम्र (01.09.2014 को):-
6. पत्राचार का पता :-
7. स्थायी पता :-
8. ई-मेल एवं फोन/मोबाईल सं0:-
9. निगम/निकाय का नाम एवं नियुक्ति की तिथि :-
10. नियुक्ति का श्रोत :-
11. शैक्षणिक योग्यता :-
12. जाति(आरक्षण श्रेणी) :-
13. गृह जिला :-
14. धारित पद का नाम :-
15. धारित पद का वेतनमान :-
16. अन्य अनुभव :-
17. विस्तृत सेवा इतिहास(संलग्न करें) :-

स्थानः-.........................

तिथिः-..........................

आवेदक का हस्ताक्षर

<u>नियोक्ता का प्रमाण-पत्र</u>

मैं................................,पदनाम...................,कार्यालय..............................,

प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती................................, पदनाम..............................,

का कार्यकलाप एवं आचरण उत्तम है तथा इनके विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई या आरोप लंबित नहीं है। यदि आशुलिपिक के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु इनका चयन किए जाने पर निगम को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा नियमानुसार उन्हें विरमित किया जाएगा।

नियोक्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर